International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 04, April 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

डा0 भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्यायियक दृष्टिकोण तथा वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता

अमित कुमार

शोधार्थी कुमाऊँ विश्वविद्यालय

एम.बी.जी.पी.जी. कालेज हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड)

सारांश

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर द्वारा समाज में समानता लाने हेतु पृथ्क प्रयास किये गये तथा यह प्रयास केवल किसी वर्ग विषेष के हित के लिए नही थे। इस समानता में स्त्री–पुरुष–मजदूर व सभी असहाय जो न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है उनको न्याय प्राप्त कराना,डा0 बी0आर0 अम्बेडकर का प्रमुख लक्ष्य था। डा0 अम्बेडकर ने मानवतावाद को सर्वोपरि माना तथा राजनीति व कानून में भी मानवतावाद के सिद्धान्त को प्रमुखता दी। डा0 अम्बेडकर का लक्ष्य भारतीय न्याय व्यवस्था में व्याप्त किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करना था जिससे समाज के सभी वर्गो के साथ समान व्यवहार हों तथा इसी सन्दर्भ में उन्होंने षिक्षा को न्याय का प्रमुख आधार माना था।

मूल शब्द : समानता, मानवतावाद, कानून, असमानता, षिक्षा

प्रस्तावना

भारतीय समाज में ''न्याय'' सदैव एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है चाहे वह अषोक की न्यायियक प्रणाली हो या ब्रिटिस न्याय प्रणाली अथवा आधुनिक भारतीय कनून व्यवस्था। यदि भारतीय न्याय प्रणाली के सन्दर्भ में चर्चा करी जाय तो ज्ञात होता है कि भारतीय न्याय प्रणाली को एक आधार प्रदान करने में डा0 अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण डा0 अम्बेडकर को भारतीय संविधान को बनान का एक महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। डा0 अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र की एक ''महार'' नामक जाति में हुआ था तथा प्रारम्भिक षिक्षा के समय से ही उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कमियों को पहचानना शुरु कर दिया था। उच्च षिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने हेतु अथक प्रयास किये डा0 अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रमुख आधार स्तम्भ कानूनी व राजनीतिक होना चाहिए। डा0 अम्बेडकर का उददे्ष्य था एक न्याय संगत समाज की स्थापना करना जा कि जाति रहित समाज भी होगा। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता , भाईचारे के आधार पर अपना न्यायियक दृष्टिकोण रखा। जॉन स्टुवर्ड मिल, लेस्ली स्टीफन, बेंथन, एडम स्मिथ आदि लेखकों ने भी समय–समय पर समाजिक न्याय को परिभाषित किया है। उन्होंने भी ऐसा तब किया तब उन्होंने महसूस किया कि समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तथा प्रत्येक स्थिति में उचित न्याय प्राप्त होना चाहिए। समाजिक न्याय का मूल आधार समाज के वंचित, शोषित वर्ग का उत्थान है। चाहे वह

महिला, पुरुष, मजदूर, स्वर्ण–अस्वर्ण कोई भी हो। इसका प्रमुख उद्देष्य है मानव जाति का कल्याण अर्थात मानवतावाद। डा0 अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का लक्ष्य है पूरे समाज का व्यवहारिक हित ना कि किसी वर्ग विषेष या समुदाय का हित जिसमें राष्ट्रवाद भी शामिल है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद एक वास्तविकता है जिसका खण्डन नही किया जा सकता। भारत में सामाजिक न्याय की अवष्यकता एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका प्रमुख कारण भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति है। ज्ञातव्य है कि भारतीय समाज दषकों तक कई रुढ़िवादी प्रथाओं से बंधा रहा है तथा इन रुढिवादी प्रथाओं का नकारात्मक प्रभाव लगभग समाज के सभी वर्गो पर पड़ा है। यदि डा0 अम्बेडकर के दृष्टिकोण से महिलाओं के समाजिक न्याय की बात करी जाय तो प्रतीत होता है कि भारतीय महिलायें सदैव न्याय से वंचित रही हैं। जिसका प्रमुख कारण वे ''मनुस्मृति'' को मानते हैं। डा0 अम्बेडकर के अनुसार मनु से पूर्व के समाज में महिलायें पूर्णतः स्वतंत्र थी परन्तु मनु ने महिलाओं के लिए एक सतत दास प्रथा की षुरुआत कर दी थी तथा उन पर कई प्रतिबन्ध भी लगाये गये जिससे हर प्रतिकूल स्थिति में भी किसी कभी प्रकार के न्याय की उम्मीद ना रखी जा सके। डा0 अम्बेडकर ने अपने विचारों के अनुसार प्रस्तुत किया कि महिलाओं की दषा के लिए हिन्दु धर्म ही जिम्मेदार है तथा 1920 में प्रकाषित अपने साप्ताहिक समाचार में सामाजिक कुरुतियों को उजागर भी किया। संत कबीर, महात्मा गाँधी व महात्मा बुद्ध के विचारों से डा0 अम्बेडकर अत्यधिक प्रभावित थे तथा इन सभी से प्रेरित होकर डा0 अम्बेडकर ने बहिष्कृत जनता के लिए न्याय का तरीका सिखा। मुख्यतः महात्मा बुद्ध से क्योंकि अम्बेडकर का झुकाव बुद्ध की न्यायियक षिक्षाओं पर अत्यधिक था। यदि डा0 अम्बेडकर के न्यायियक दृष्टिकोण की वर्तमान प्रासांगिकता को देखा जाय तो प्रतीत होता है कि जिस न्यायियक व्यवस्था का स्वप्न डा0 अम्बेडकर दे देखा था अभी भारतीय समाज उससे काफी दूर है। समानता, न्याय, भाईचारेकी भारतीय न्यायियक प्रणाली में अभी कमी है। वर्तमान में भी महिलायें, निम्न वर्ग व अन्य शोषित वर्ग आज भी न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

डा0 अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संविधानिक रुप से समानता दिलाने के प्रयास किये गये। तथा यह कानून धर्म, मूल वंष, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दलितों की अति दयनीय स्थिति के कारण हो उन्होंने संविधान में अस्पृष्यता के पूर्णतः निषेध का प्रावधान भी किया। इन संविधानिक अधिकारों का अनुपालन सुचारु रुप से हो इसके लिए राज्य को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। राज्य का लक्ष्य समाज कल्याण होना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार राज्य को विषेषाधिकार है कि वह दलिता व अल्पसंख्यकों को सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षिक रुप से सक्षम करने हेतु प्रयास करें तथा राज्य कार्यपालिका में भी दलितों व अल्पसंख्यकों हेतु स्थान सुनिष्चित करने की वकालत करें। क्योंकि यदि दलितों व अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका में नही होगा तो उनके पतिरोध में बहुसंख्यकों द्वारा कानूनी रुप से शोषण किया जा सकता है। अम्बेडकर के अनुसार षिक्षा व जागरुकता के माध्यम से ही दलितों व अल्पसंख्यकों में राजनीतिक चेतना का विकास किया जा

सकता है। जिससे वह कार्यपालिका में अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा सकते हैं। इसो राजनीति चेतना के कारण ही वर्तमान समाज में भी दलित व अल्पसंख्यक अपने विचारों को रख पा रहे हैं। बहुसंख्यक वर्ग द्वारा निम्न जातियों के कार्यपालिका में प्रवेष पर भी डा0 अम्बेडकर को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था तथा कहीं न कहीं यह विरोध वर्तमान में भो दिखायी देता है। आज 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में से निम्न जातियों का राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नही है तथा बहुसंख्यक वर्ग द्वारा आज भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निम्न जातियों व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा कानूनी प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। जिसके कारण अस्पृष्य, उच्च वर्ग के प्रति कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ रहा जाता है। डा0 अम्बेडकर का न्यायिक दृष्टिकोण बहुलक था तथा उनका मानना था कि कुछ समय पश्चात यह भेद भाव समाप्त हो जायेगा तथा समाज में समानता आ जायेगी परन्तु उच्च वर्ग द्वारा लगातार अत्याचार व न्यायिक व विधिक प्रणाली पर अपने वर्चस्व के कारण वर्तमान में भी दलित वर्ग निम्न स्थान पर ही है।

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम होने के बावजूद भी वर्तमान में दलितों पर उत्याचार हो रहे हैं जो इस बात का द्योतक है कि कड़ी कानूनी व्यवस्था या प्रणाली होने के बावजूद उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किसी न किसी स्तर पर किया जा रहा है। जो वर्तमान समाजिक न्याय प्रणाली की कमियों को प्रदर्षित करता है।

निष्कर्ष

अतः एक सामाजिक और राजनैतिक सुधारक के रुप में डा0 अम्बेडकर की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आजादी के बाद के भारत में सामाजिक राजनैतिक सोच को एक विस्तार मिला है तथा उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और भारत आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व कानूनी प्रोत्साहन से सकारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेरित है तथा इससे यह भी प्रदर्षित होता है कि डा0 अम्बेडकर केवल किसी विषिष्ट वर्ग हेतु कार्यरत नही थे बल्कि पूर्ण समाज के उद्धार पर विष्वास करते थे।

सन्दर्भ सूची

1. अम्बेडकर. बी0आर0 (1948) द अनटचेबल्स पृष्ठ 120
2. अम्बडकरत्र बी0आर0 (1955) बी0बी0सी0 इन्टरब्यू
3. अम्बेडकर. बी0आर0, राइटिंगस एण्ड स्पीच वाल्यूम 1 एजुकेषन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार बम्बई (1983) पृष्ठ 409
4. अम्बेडकर. बी0आर0, राइटिंगस एण्ड स्पीच वाल्यूम 1 स्टेट एण्ड माइनोरिटीज एजुकेषन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार बम्बई (1983) पृष्ठ 400
5. अम्बेडकर बी0आर0 (1946) वू वर शुद्रा पृष्ठ 16–17
6. अम्बेडकर अी0अर0 राइज एण्ड फाल ऑफ हिन्दु वुमेन पृष्ठ 12–17
7. शास्त्री आर0वी0 (2016) मनुस्मृति पृष्ठ 10–20
8. यादव. निधि (2016) सामाजिक न्याय : अम्बेडकर की दृष्टि पृष्ठ 3–4
10. यादव. दीपक सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यवाही का आइडिया पृष्ठ 63–66
11. मलिक, चितरंजन डा0 अम्बेडकर और महिलाओं का सषक्तिकरण पृष्ठ 71